हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022

- त्रिस्तरीय पंचायतों के अद्यतन परिसीमन की कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16.03.2022 को तथा आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 25.05.2022 को सम्पन्न की गई।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 278/2022 (आई.ए. नम्बर 74527/2022) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2022 के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 की प्रक्रिया की जा रही है।

1. पदों की संख्या :–

- नवम्बर 2022 तक कार्यकाल पूर्ण करने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के निम्नानुसार पद रिक्त हैं :–
  - जिला पंचायत सदस्य (52 जिले) – 875
  - जनपद पंचायत सदस्य (313 जनपद) – 6,771
  - सरपंच – 22,921
  - पंच – 3,63,726*

  अतः इन पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा आम निर्वाचन 2022 में कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश की कुल 91 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नवम्बर 2022 के बाद पूर्ण होगा। उक्त पंचायतों में पंच एवं सरपंच का निर्वाचन पृथक से सम्पन्न कराया जायेगा, किन्तु इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन सम्पन्न होगा।

2. मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्र :–

- संदर्भ तिथि 01.01.2022 की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई 2022 को किया जा चुका है। मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 3,93,78,502 मतदाता है।
  - पुरूष मतदाता – 2,03,14,793
  - महिला मतदाता – 1,90,62,749
  - अन्य मतदाता – 960
- प्रदेश में कुल 71,643 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- इनमें से 3,258 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक है।

3. मतदान दल :–

- निर्वाचन प्रक्रिया में लगभग 4.25 लाख मतदान कर्मी नियुक्त किये जायेंगे।
- 750 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केन्द्रों पर एक अतिरिक्त मतदानकर्मी की नियुक्ति की जावेगी।

4. मतदान :–

- पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से मतपत्र/मतपेटी के माध्यम से सम्पन्न होगा।
- समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा।
- मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।

5. मतगणना, सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा :–

- त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान केन्द्र पर ही की जायेगी।
- पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, पद की मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।
- जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी।

6. सूचना प्रोद्यौगिकी (IT) का उपयोग :–

- निर्वाचन में सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग किया जायेगा।
- निर्वाचन हेतु मतदान दल एवं मतगणना दल गठन NIC द्वारा विकसित CEMS (Common Election Management System) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा।
- मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर अथवा "चुनाव" मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

7. सुरक्षा प्रबंध, शिकायत निवारण एवं प्रेक्षक :–

- स्ट्रांग रूम, मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।
- शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जायेगी।
- निर्वाचन सम्बंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755–2551076 है।
- निर्वाचन के पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में प्रेक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं।

8. मतदाता जागरूकता :–

- मतदाता जागरूकता हेतु SENSE (Systematic Education Nurturing Sensitization Electorate) से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

9. आदर्श आचरण संहिता एवं चुनाव प्रचार :–

- निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने सम्बंधी घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।
- आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर सम्पादित हो रहे हैं, परन्तु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
- निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा/रैली/जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

10. निर्वाचन कार्यक्रम :–

- त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 तीन चरणों में सम्पन्न होंगे। **निर्वाचन कार्यक्रम एवं विकासखण्डों की चरणवार जानकारी संलग्न है।**
- तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30.05.2022 (सोमवार) को सम्बंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी तथा समस्त चरणों के नामनिर्देशन पत्र एक साथ दिनांक 30.05.2022 से लिये जायेंगे।
- नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ दिनांक 06.06.2022 (सोमवार) होगी तथा इसके अगले दिन दिनांक 07.06.2022 (मंगलवार) को नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) की जायेगी।
- अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख़ दिनांक 10.06.2022 (शुक्रवार) अपरान्ह 03:00 बजे तक होगी तथा इसके पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा।

चरणवार क्षेत्र विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	चरण	जनपद पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदाता संख्या
1	प्रथम	115	8,702	27,049	1,49,23,165
2	द्वितीय	106	7,661	23,988	1,31,44,027
3	तृतीय	92	6,649	20,606	1,13,11,310
योग		**313**	**23,012**	**71,643**	**3,93,78,502**

जिलेवार चरणों की संख्या निम्नानुसार है

- एक चरण में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 05
- दो चरण में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 08
- तीन चरण में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 39

- पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, पद की मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 14.07.2022 को की जायेगी।
- जिला पंचायत सदस्य पद हेतु जिला स्तरीय सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15.07.2022 को की जायेगी।

_*_*_*_

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन (2022)
चरणवार निर्वाचन की जानकारी

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
भोपाल संभाग				
1	भोपाल	फंदा	**निरंक**	**निरंक**
		बैरसिया		
2	राजगढ़	ब्यावरा	जीरापुर	नरसिंहगढ़
		राजगढ़	खिलचीपुर	सांरगपुर
3	रायसेन	सिलवानी	उदयपुरा	सांची
		बाड़ी	गैरतगंज	औ.गंज
			बैगमगंज	
4	सीहोर	सीहोर	नसरूल्लागंज	आष्टा
			इछावर	बुदनी
5	विदिशा	बासोदा	सिरोंज	कुरवाई
		विदिशा	नटेरन	ग्यारसपुर
				लटेरी
इंदौर संभाग				
6	इंदौर	इंदौर	**निरंक**	**निरंक**
		डॉ.अम्बे.(महू)		
		सावेर		
		देपालपुर		
7	खरगोन	भगवानपुरा	महेश्वर	भीकनगांव
		झिरन्या	बड़वाह	कसरावद
		सेगांव		गोगांवा
				खरगोन
8	खण्डवा	खण्डवा	खालवा	पंधाना
		हरसूद	पुनासा	छैगावंमाखन
		बलड़ी (किल्लोद)		

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
9	धार	निसरपुर	गंधवानी	सरदारपुर
		कुक्षी	उमरबन(बाकानेर)	नालछा
		बाग	धरमपुरी	धार
		डही	मनावर	तिरला
		बदनावर		
10	झाबुआ	पेटलावद	झाबुआ	**निरंक**
		थांदला	मेघनगर	
			रानापुर	
			रामा	
11	बुरहानपुर	बुरहानपुर	खकनार	**निरंक**
12	अलीराजपुर	चंद्र.आ. नगर (भावरा)	अलीराजपुर	सोण्डवा
		कट्ठिवाड़ा	जोबट	उदयगढ़
13	बड़वानी	सेंधवा	ठीकरी	पाटी
		पानसेमल	राजपुर	बड़वानी
			निवाली	
ग्वालियर संभाग				
14	ग्वालियर	मुरार	**निरंक**	**निरंक**
		भितरवार		
		घाटीगांव		
		डबरा		
15	गुना	गुना	राघौगढ़	आरौन
		बमोरी	चाचोड़ा	
16	शिवपुरी	खनियाधाना	पिछोर	पोहरी
		बदरवास	नरवर	करेरा
			कोलारस	शिवपुरी

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
17	अशोकनगर	अशोकनगर	ईसागढ़	मुंगावली
				चंदेरी
18	दतिया	दतिया	सेवडा	**निरंक**
			भाण्डेर	
जबलपुर संभाग				
19	जबलपुर	सिहोरा	मझौली	**निरंक**
		कुण्डम	पाटन	
		पनागर	शाहपुरा	
		जबलपुर(बरगी)		
20	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सोसर	मोहखेड़ा
		तामिया	पाढुरना	जुनारदेव
		हर्रई	परासिया	चौरई
		अमरबाड़ा	बिछुआ	
21	सिवनी	सिवनी	लखनादौन	केवलारी
		बरघाट	घंसौर (कहानापस)	छपारा
			धनोरा	कुरई
22	बालाघाट	बैहर	लांजी	बालाघाट
		परसवाड़ा	किरनापुर	लालबर्रा
		वारासिवनी	कटंगी	बिरसा
		खैरलांजी		
23	मण्डला	बिछिया	घुघरी	नारायणगंज
		मवई	मोहगांव	निवास
		नैनपुर	मण्डला	बीजाडोडी
24	डिण्डौरी	शहपुरा	डिण्डौरी	समनापुर
		मेहदवानी	अमरपुर	बजाग
				करंजिया

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
25	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	**निरंक**	**निरंक**
		गोटेगांव		
		करेली		
		चावरपाठा		
		बाबई चीचली		
		साईखेड़ा		
26	कटनी	विजयराघवगड़	बड़वारा	बहोरीबंद
		ढ़ीमडखेड़ा	कटनी	रीठी
उज्जैन संभाग				
27	उज्जैन	बड़नगर	खाचरौद	महिदपुर
		उज्जैन	घटिया	तराना
28	नीमच	नीमच	जावद	मनासा
29	रतलाम	आलोट	बाजना	रतलाम
			सैलाना	जावरा
				पिपलोदा
30	शाजापुर	शाजापुर	मोमन बडोदिया	शुजालपुर
				कालापीपल
31	आगरमालवा	बड़ौद	आगर	सुसनेर
				नलखेड़ा
32	मंदसौर	मंदसौर	सीतामऊ	गरोठ
			भानपुरा	मल्हारगढ़
33	देवास	बागली	देवास	**निरंक**
		कन्नौद	टोंकखुर्द	
		खातेगांव	सोनकच्छ	

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
सागर संभाग				
34	सागर	सागर	मालथौन	राहतगढ़
		रेहली	बण्डा	खुरई
		केसली	देवरी	शाहगढ़
			बीना	जैसीनगर
35	छतरपुर	छतरपुर	बड़ामलहरा	नौगांव
		राजनगर	बकस्वाहा	लवकुशनगर
			बारीगढ़ (गौरीहार)	बिजावर
36	दमोह	दमोह	जवेरा	तेदुखेड़ा
		पथरियां	हटा	बटियांगढ़
				पटेरा
37	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	टीकमगढ़	जतारा
			पलेरा	
38	निवाड़ी	निवाड़ी	पृथ्वीपुर	**निरंक**
39	पन्ना	पन्ना	गुन्नौर	**निरंक**
		अजयगढ़	पवई	
			शाहनगर	
रीवा संभाग				
40	रीवा	हनुमना	रीवा	सिरमौर
		मऊगंज	रायपुर कर्चुलियान	जवा
		नईगड़ी	गांगेव	त्यौथर
41	सिंगरौली	बेढन	देवसर	चितरंगी
42	सीधी	सिहावल	रामपुर नैकिन	सीधी
		कुसमी	मझौली	
43	सतना	चित्रकूट (मझगवां)	नागौद	रामपुर बाघेलान
		सुहावल (सतना)	अमरपाटन	मैहर
		उचहेरा	रामनगर	

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
नर्मदापुरम संभाग				
44	नर्मदापुरम	सोहागपुर	सिवनी मालवा	नर्मदापुरम
		केसला	पिपरियां	माखन नगर
				बनखेड़ी
45	बैतूल	बैतूल	घौड़ाडोंगरी	प्रभातपट्टन
		आमला	मुलताई	भैंसदेही
		शाहपुर	आठनेर	भीमपुर
			चिचोली	
46	हरदा	हरदा	**निरंक**	**निरंक**
		टिमरनी		
		खिरकिया		
शहडोल संभाग				
47	शहडोल	सोहागपुर	ब्योहारी	पाली(नं1)गोहपारू
			जयसिंह नगर	बुड़ार
48	उमरिया	उमरिया (करकेली)	मानपुर	**निरंक**
		पाली नं. 2		
49	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	जैतहरी	अनूपपुर
				कोतमा
चम्बल संभाग				
50	भिण्ड	मिहोना (रौन)	अटेर	महगांव
		लहार	भिण्ड	गोहद
51	श्योपुर	श्योपुरकलां	कराहल	विजयपुर
52	मुरैना	अम्बाह	मुरैना	सबलगढ़
		पोरसा	जौरा	कैलारस
				पहाड़गढ़
महायोग		**115**	**106**	**92**

पंचायत निर्वाचन

हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभागों,
पंचायतों और उनके कर्मचारियों के लिए

आदर्श आचरण संहिता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
अप्रैल, 2019

पंचायत निर्वाचन

हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभागों,
पंचायतों और उनके कर्मचारियों के लिए

आदर्श आचरण संहिता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
अप्रैल, 2019

पंचायत निर्वाचन

के लिए

आदर्श आचरण संहिता

इस संहिता के प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे।

सभी अभ्यर्थी इस तथ्य से अवगत रहें कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर होते हैं। तब भी आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

भाग-एक
अभ्यर्थियों के लिए

1. **सामान्य आचरण :—**

(1) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, दलगत या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

(3) पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो; और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और न ही स्वयं ऐसे कृत्य में भाग लेना चाहिये।

(7) राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अन्तर्गत अपराध हों, जैसे कि :—

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,

(ii) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,

(iii) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,

(iv) मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए समय के साथ समाप्त होने वाले पिछले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना,

(v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक, प्रलोभन आदि देना,

(vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,

(vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,

(ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना।

(x) त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप निर्वाचन राजनैतिक दलीय आधार पर नहीं होते हैं, अत: चुनाव की प्रचार प्रसार सामग्री में किसी भी राजनैतिक दल, व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(xi) मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये निजी राशि से सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक प्रयोजन से कोई निर्माण अथवा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा नहीं की जायेगी।

(8) मतदान समाप्त होने के समय से 48 घन्टे पूर्व से शराब की दुकानें बन्द रखी जाएंगी। अत: इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाय और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

(9) किसी भी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।

शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

(10) किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(11) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

(13) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान, :

(i) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ii) वलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(iii) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद-प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा मतदाताओं को उसके प्रति आकर्षित करने के प्रयोजन से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

2. **सभाएं एवं जुलूस :—**

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय संबंधित पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों अथवा उनके समर्थकों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

(3) किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हों। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण सामान्य यातायात में कोई बाधा न हो।

(4) जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी सामग्री लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके।

(5) प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उसके समर्थकों द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

(6) सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

3. **शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबन्ध :—**

शासन सहित, सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के स्वयं के अथवा उनके द्वारा किराये पर अनुबंधित वाहनों, विमानों एवं अन्य संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, सांसदों, विधायकों, पंचायतों के पदाधिकारियों या अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

4. * **निर्वाचन घोषणा पत्र :—**

(1) निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप न हो एवं जिससे निर्वाचन की शुचिता एवं निष्पक्षता किसी भी प्रकार से प्रभावित होती हो।

(2) राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करे या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले।

(3) पारदर्शिता एवं सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि घोषणा पत्रों में प्रस्तावित वायदों का औचित्य एवं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाये जायेंगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो।

भाग-दो
शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिये

1. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना (स्कीम) या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।

2. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में पूर्णत: निष्पक्ष रहना चाहिये। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

---

* माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 21455/2008-(एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 5-7-2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्वाचन घोषणा पत्र तैयार करने के संबंध में उक्त अपेक्षा को शामिल किया गया है।

3. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री अथवा सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस अभ्यर्थी या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं शर्तों पर करने की अनुमति दी जायेगी, जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। परन्तु किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6. (i) साधारणत: चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।

6. (ii) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

7. निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या सांसद या विधायकों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना या जनोपयोगी सुविधाओं का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

8. इस अवधि के दौरान ऐसे पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी योजना का, या नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का, भले ही उनका निर्माण राज्य सरकार या संबंधित पंचायत द्वारा न किया गया हो या प्रस्तावित हो, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

9. चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, शासकीय खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे अभ्यर्थी को उनके अथवा उसके अपने हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

भाग-तीन

त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

(**नोट:**—इस भाग में पंचायत से अभिप्राय, यथास्थिति, जिला पंचायत, जनपद तथा ग्राम पंचायत से है.)

1. पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे हैं।

2. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक :—

(i) पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए;

(iii) पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए। केवल पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण पूर्व की तरह किया जा सकता है।

(iv) पंचायत क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (उदाहरण स्वरूप, किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना, खड्डंजे बिछाना, नालियों को पक्का करना, नल-जल योजना का विस्तार करना, नये हैंडपंप लगाना, नयी स्ट्रीट लाईट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना अथवा जनोपयोगी सुविधा का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

(v) किसी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री पैम्पलेट जारी नहीं की जानी चाहिए जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो।

(vii) पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले, परिवार समूह या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

(3) (i) आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की दशा में ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत् कार्य यथावत जारी रहेंगे। ऐसे कार्यों से संबंधित भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन ग्राम पंचायत सचिव एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) द्वारा नामांकित अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जायेंगे।

(ii) आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा कोई भी नवीन हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत अथवा प्रारम्भ नहीं किये जा सकेंगे। इस अवधि में मजदूरों द्वारा कार्य की मांग करने पर "शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट" में शामिल रुपये 10.00 लाख तक की लागत के सामुदायिक कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत कर प्रारम्भ किये जा सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा, जब उस पंचायत में चल रहे अथवा अपूर्ण कार्य पर मजदूरों को पर्याप्त अवसर मिलने के बाद भी कार्य के लिये इच्छुक मजदूरों की संख्या स्पष्टत: सामने आये। ऐसे कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी जनपद पंचायत रहेगी तथा समस्त भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) जनपद पंचायत द्वारा किया जावेगा।

(iii) यह व्यवस्था नव-निर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रभार में आते ही स्वमेव तत्काल समाप्त हो जाएगी, किन्तु इस अवधि में जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत सामुदायिक कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेन्सी जनपद पंचायत का ही होगा।

(iv) आवश्यकता पड़ने पर उक्तानुसार व्यवस्था जिला एवं जनपद पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में भी लागू की जानी चाहिए।

(4) किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर

निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिये और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ न तो रहना चाहिये और न ही शासन अथवा पंचायत के वाहन या अन्य सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिए।

भाग-चार
प्रेक्षक

(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को शासकीय एवं पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना दायित्व प्रभावी तरीके से निभा सकें।

(2) निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उनके द्वारा इसकी सूचना प्रेक्षक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(3) शासकीय विश्राम गृह / भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों/पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जायेंगे। जब किसी विश्राम गृह/ भवन में आयोग के प्रेक्षक रुके हों, तब उसमें किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किए जायेंगे।

दिनांक : अप्रैल, 2019

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग,
मध्यप्रदेश।

शा.क.मु.भो. आदेश क्रं. GPR/दो/5/4/0003/2020-MUD/452
कैलाश प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित संख्या - 3,75,000+15000 प्रतियां

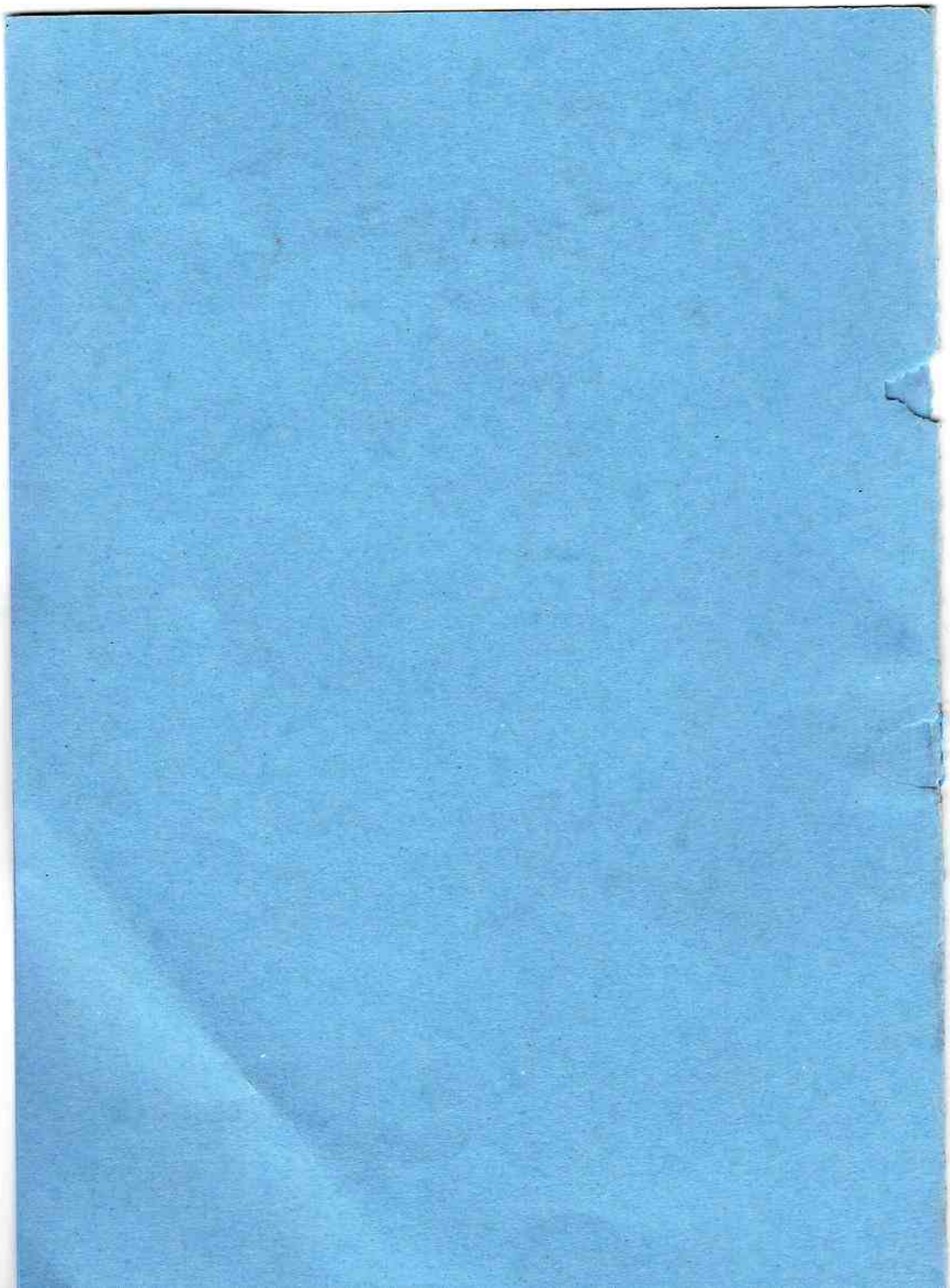

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम (समय–अनुसूची)

स.क्र.	कार्यवाही	निर्धारित तारीख/दिन			समय
		प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करना	30.05.2022 (सोमवार)			प्रातः 10:30 बजे
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन				
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन				
2.	नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख़	06.06.2022 (सोमवार)			प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	07.06.2022 (मंगलवार)			प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख़	10.06.2022 (शुक्रवार)			अपरान्ह 03:00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	10.06.2022 (शुक्रवार)			अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	25.06.2022 (शनिवार)	01.07.2022 (शुक्रवार)	08.07.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
7.	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा :–				
	(i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना	25.06.2022 (शनिवार)	01.07.2022 (शुक्रवार)	08.07.2022 (शुक्रवार)	मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात
	(ii) विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना	28.06.2022 (मंगलवार)	04.07.2022 (सोमवार)	11.07.2022 (सोमवार)	प्रातः 08:00 बजे से
	(iii) पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iv) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	14.07.2022 (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(v) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	15.07.2022 (शुक्रवार)	15.07.2022 (शुक्रवार)	15.07.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से

–*–*–*–